तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
15/01/21	**राजस्व आवेदन संख्या 02/2020** **अनवान शेराराम उर्फ सत्यनारायण बनाम मोहनराम** **आदेश** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री दुर्गाराम की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा सामिल मिसल हो। वकील अप्रार्थीगण जवाब पेश करना नही चाहते सीधे ही बहस करना चाहते है। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा देवाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1086/290 रकबा 11.00 बीघा व खसरा संख्या 1088/328 रकबा 15.13 बीघा कुल रकबा 26.13 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को छोड़कर तथा उनकी उपस्थिति में नखमबन्दी की जावें। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा देवाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1086/290 रकबा 11.00 बीघा व खसरा संख्या 1088/328 रकबा 15.13 बीघा कुल रकबा 26.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर [illegible] मौके पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व [illegible] जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर [illegible] 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:05:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2021/128

दिनांक – 19-01-21

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 शेराराम उर्फ सत्यनारायण पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी देवाणियों की ढाणी, शिवकर तहसील व जिला बाडमेर।		1 मोहनराम पुत्र अमराराम 2 अशोक कुमार पुत्र भूराराम 3 हुकमाराम पुत्र लाधाराम 4 हिमथाराम पुत्र दमाराम 5 गोसाईराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी देवाणियों की ढाणी, शिवकर तहसील व जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 02/2020 दिनांक– 15-01-21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा देवाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1086/290 रकबा 11.00 बीघा व खसरा संख्या 1088/328 रकबा 15.13 बीघा कुल रकबा 26.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2021/129-32 दिनांक– 19-01-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. शेराराम उर्फ सत्यनारायण पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी देवाणियों की ढाणी, शिवकर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी मोहनराम पुत्र अमराराम वगैराह जाति जाट निवासी देवाणियों की ढाणी, शिवकर तहसील व जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:05:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर